न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 28/2016 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2016/00043

1. मनोज कुमार पुत्र बंशीलाल जाति अरोड़ा निवासी मकान नं. 6–एस 27, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दीपक बाला पुत्री बंशीलाल जाति अरोड़ा निवासी मकान नं. 6–एस 27, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती कृष्णा पत्नी बंशीलाल जाति अरोड़ा निवासी मकान नं. 6–एस 27, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुशील कुमार पुत्र खानचंद जाति अरोड़ा निवासी 60 जी.बी. तहसील अनूपगढ़।
2. सुभाष चन्द पुत्र खानचंद जाति अरोड़ा निवासी 60 जी.बी. तहसील अनूपगढ़।
3. चरणजीत पुत्र खानचन्द जाति अरोड़ा निवासी 60 जी.बी. तहसील अनूपगढ़।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र खानचन्द जाति अरोड़ा निवासी 60 जी.बी. तहसील अनूपगढ़।
5. श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री सुन्दरलाल पुत्री खानचंद जाति अरोड़ा साकिन मकान नं. 1163 हाउसिंग बोर्ड, न्यू कॉलोनी पानीपत तहसील पानीपत। (हरयाणा)
6. सरोजरानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्री श्री खानचंद जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 4 श्रीविजयनगर, तहसील श्रीविजयनगर।
7. कान्ता रानी पत्नी श्री मंगतराम पुत्री श्री खानचंद जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 27 बड़ोपल रोड़, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री मदन सुरोलिया अभिभाषक अपीलांट सं. 1, 3
श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 2, 3

निर्णय

दिनांक 19.07.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

1– विवादित भूमि वाके चक नं. 60 जी.बी. (ए) तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 6(242/452) के 2.530 हैक्ट. नाली प्रथम, मु.नं. 7(241/452) में 1.974 हैक्ट., नाली प्रथम व मु.नं. 8(240/452) में 3.491 हैक्ट. कुल 7.995 हैक्ट. स्थित है। वादगत भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 11.02.2016 को एक आदेश पारित कर इन्तकाल संख्या 224 दिनांक 01.08.2013 में दर्ज आराजी जैर अपील तादादी 7.995 हैक्ट. को उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ की डिक्री दिनांक 24.07.2013 से पूर्व की स्थिति में रेस्टोर किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 11.02.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री मदन सुरोलिया ने अपनी बहस में कथन किया है कि आराजी जैर अपील भूमि वाके चक नं. 60 जी.बी. (ए) तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 6(242/452) के 2.530 हैक्ट. नाली प्रथम, मु.नं. 7(241/452) में 1.974 हैक्ट., नाली प्रथम व मु.नं. 8(240/452) में 3.491 हैक्ट. कुल 7.995 हैक्ट. के बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 7 के विरूद्ध एक वाद उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष पेश किया कि उनके पिता खानचंद की वसीयत दिनांक 05.09.1989 के आधार पर उनकी आराजी जैर अपील का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट्स के काउंटर क्लेम को स्वीकार करते हुए आराजी जैर अपील का पैतृक सम्पति माना और उक्त सम्पति में अपीलांट्स का 1/8 हिस्सा मानते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2013 से सह खातेदार कृषक घोषित कर दिया। तहसीलदार अनूपगढ़ ने उक्त आदेश एवं डिक्री की पालना में खानचंद के सभी वारिसानों के नाम इंतकाल संख्या 224 दिनांक 01.08.2013 दर्ज किया जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 11.02.2016 से खारिज करते हुए, उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ की डिक्री से पूर्व की स्थिति में रेस्टोर करने का आदेश दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 31.07.2013 को खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने राजस्व मण्डल राजस्थान

अजमेर में निगरानी एवं प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश पेश किया जिसे दिनांक 12.09.2013 को खारिज कर दिया गया। इसप्रकार तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा दर्ज किये गये इंतकाल संख्या 224 को यह कहकर खारिज करना गलत है कि तहसीलदार द्वारा मियाद अपील के अंदर ही इंतकाल दर्ज किया गया है। वादगत भूमि अपीलांट्स की पैतृक सम्पति होने के कारण खानचंद को इसकी वसीयत करने का कोई अधिकारी नहीं था। अपीलाधीन आदेश द्वारा मृतक के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश गैर कानूनी है। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री को किसी भी न्यायालय ने खारिज नहीं किया। अतः तहसीलदार अनूपगढ़ के इंतकाल संख्या 224 दिनांक 01.08.2013 को कायम रखा जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 श्री विजय कुमार पारीक ने बहस के दौरान कथन किया कि स्व. खानचंद पुत्र श्री वीरभान द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि की अपने जीवन काल में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.09.1989 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में की। वसीयत में अपने सबसे बड़े पुत्र बंशीलाल को राजकीय सेवा में होने के कारण शामिल नहीं किया। तहसीलदार अनूपगढ़ मियाद अपील के अन्दर ही इंतकाल पारित करना न्याय हित में नहीं है। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा दर्ज विरासतन इंतकाल विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 224 दिनांक 01.08.2013 उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2013 की पालना में दर्ज हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपील का अन्तिम निर्णय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में वसीयत बाबत लम्बित प्रकरण के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर